न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58/2017, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. जगदीश पुत्र गंगाधर
2. कानाराम पुत्र बिरदीचन्द
   जाति मीना निवासी नांगल उर्फ अभयपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भू पुत्र गणेश जाति बैरवा निवासी भक्तों की ढाणी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. उप जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र पत्रावली स्थानान्तरण उनवानी शम्भू बनाम जगदीश आदि अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 का0 अधिनियम न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा

उपस्थिति : श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांक 5.1.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन प्रकरण उनवानी शम्भू बनाम जगदीश अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 का0 अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावली को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा से न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त उनवानी प्रकरण जो न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में विचाराधीन था को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा के यहां स्थानान्तरित करवा लिया, न्यायालय उप जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण की सुनवाई के बाद अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को निरस्त फरमा दिया गया था। अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। अपील निरस्त होने के बाद अप्रार्थी स0 1 की ओर से निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी याचिका को स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित भूमि कस्बा लालसोट व ग्राम नांगल अभयपुरा तहसील लालसोट में स्थित है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

पक्षकारगण प्रार्थीगण भी वही स्थाई रूप से रहते है। अप्रार्थी सं0 1 दिल्ली में स्थाई रूप से निवास करता है। हम प्रार्थीगण को लालसोट से बार–बार दौसा आना जाना पडता है। उप जिला कलक्टर लालसोट के विरूद्ध आरोप लगाकर प्रकरण दौसा न्यायालय में स्थानान्तरित करवाया है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण भी हो चुका है। अतः प्रकरण को सुनवाई हेतु न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त उनवानी प्रकरण राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। पूर्व में न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट से पत्रावली न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा को स्थानान्तरित करवायी गयी है। अब उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर पुनः उक्त पत्रावली न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट को स्थानान्तरित करवाने हेतु पेश किया गया है। अतः प्रकरण को न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट को स्थानान्तरित न किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में पक्षकारान एवं अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन प्रकरण उनवानी शम्भू बनाम जगदीश अन्तर्गत धारा 251 ए रा0 का0 अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावली को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा से न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में स्थानान्तरित किया जाता है। उप जिला कलक्टर दौसा उक्त उनवानी प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को भिजवाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर दौसा एवं सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 5.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा